विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-1: राज्य सरकार के वित्त			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	राज्य के संसाधन	1.2	5
5.	राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	7
6.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	12
7.	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	13
8.	संसाधनों का उपयोग	1.6	13
9.	व्यय की गुणवत्ता	1.7	19
10.	सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण	1.8	22
11.	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	26
12.	ऋण प्रबंधन	1.10	29
13.	राजकोषीय असंतुलन	1.11	32
14.	राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	1.12	36
15.	निष्कर्ष	1.13	36
16.	संस्तुतियाँ	1.14	38
अध्याय-2: वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण			
17.	प्रस्तावना	2.1	39
18.	विनियोग लेखों का सारांश	2.2	39
19.	वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.3	41
20.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	48
21.	कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम	2.5	54
22.	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	55
23.	सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना	2.7(अ)	55
24.	असमाधानित व्यय	2.7(ब)	56
25.	बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ	2.8	57
26.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	2.9	58

अध्याय-3: वित्तीय प्रतिवेदन			
27.	उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.1	61
28.	लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना/ विलम्ब से प्रस्तुतीकरण	3.2	62
29.	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.3	62
30.	लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अधीन इन्द्राज	3.4	63
31.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	3.5	64

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1	राज्य की रूपरेखा	67
परिशिष्ट 1.1	**भाग अः** सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना **भाग बः** वित्त लेखे का विन्यास	68
परिशिष्ट 1.2	**भाग अः** राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि **भाग बः** राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	70 71
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	73
परिशिष्ट 1.4	**भाग अः** वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार **भाग बः** 31 मार्च 2017 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	76 79
परिशिष्ट 1.5	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक / वाणिज्यिकवत उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण	81
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था	82
परिशिष्ट 2.2	विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	83
परिशिष्ट 2.3	व्यय की तीव्रता	84
परिशिष्ट 2.4	प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	85
परिशिष्ट 2.5	₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी) / आधिक्य में परिणत निधियों का आधिक्य / अनावश्यक / अपर्याप्त पुनर्विनियोग	87
परिशिष्ट 2.6 (अ)	वर्ष 2016-17 के दौरान दत्तमत अनुदान से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण	90
परिशिष्ट 2.6 (ब)	वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभारित विनियोग से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण	92
परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण	93
परिशिष्ट 2.8	विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया	94
परिशिष्ट 2.9	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत / न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	95

परिशिष्ट 2.10 (अ)	30 / 31 मार्च 2017 को दत्तमत्त अनुदान की ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	97
परिशिष्ट 2.10 (ब)	30 / 31 मार्च 2017 को प्रभारित विनियोग की ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	98
परिशिष्ट 2.11	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत / न्यूनता ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थीं	99
परिशिष्ट 2.12	2014-15 से 2016-17 के दौरान वर्ष के अंत में जमा खाते में स्थानान्तरित की गयी निधि	101
परिशिष्ट 2.13	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2016-17 के दौरान आहरित अग्रिम की स्थिति (अगस्त 2017 को) जिसकी प्रतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान नहीं हुई	102
परिशिष्ट 2.14	वर्ष 2015-16 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जो अप्रतिपूर्तित रहा (अगस्त 2017 को)	103
परिशिष्ट 2.15	वर्ष 2016-17 तक के लम्बित डी सी बिल (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)	104
परिशिष्ट 3.1	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखोओं के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण	105
परिशिष्ट 4.1	शब्दावली	106